



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 728

राँची : 08.08.2024

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय:- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्सआईट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफटीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 1955 दिनांक 23.11.2022 एवं पत्रांक 1010 दिनांक 18.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्सआईट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/MIN/155456/2022) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत Online तथा Hard Copy की इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी।

उपरोक्त पूर्व में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्सआईट खनन हेतु 7.52 हे० (2.17 हे० सेफटीजोन एरिया को छोड़कर) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में सेफटीजोन एरिया को सम्मिलित करने एवं अन्य बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। उक्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्सआईट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफटीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के पत्रांक 852 दिनांक 17.05.2024 एवं पत्रांक 1301 दिनांक 25.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव की वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना लोहरदगा वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अवस्थित है।
2. प्रस्तावित क्षेत्र बगडू पी०एफ० में अवस्थित है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित Form-A, प्रपत्र-I में ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन दर्ज करते हुए अपलोड किया गया है।
4. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II (ऑनलाईन/ऑफलाईन) में संबंधित लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा का मंतव्य दर्ज किया गया है। साथ स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड/संलग्न किया गया है।
5. प्रस्ताव के साथ पार्ट-III में संबंधित वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का मंतव्य दर्ज किया गया है। साथ स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड/संलग्न किया गया है।
6. प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसार 9.69 हे० अधिसूचित वनभूमि का प्रस्ताव है।

7. प्रस्तावित वनभूमि का land schedule अपलोड/संलग्न किया गया है।
8. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट नं०- F45A11 पर लोकेशन मैप अपलोड/संलग्न किया गया है।
9. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Geo reference map, GPS Co-ordinates अपलोड/संलग्न किया गया है।
10. परियोजना हेतु प्रस्तावित वनभूमि में कुल 3719 प्रभावित होंगे। वृक्षों की प्रजातिवार Girth-wise गणना सूची अपलोड/संलग्न किया गया है।
11. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण अपलोड/संलग्न किया गया है।
12. प्रस्ताव के साथ Approved Mining Plan अपलोड/संलग्न किया गया है।
13. प्रस्ताव के साथ Environment Clearance अपलोड/संलग्न किया गया है।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु वचनवद्धता दी गई है।
15. अंचल अधिकारी, किस्को, लोहरदगा के पत्रांक 180 दिनांक 30.04.2016 द्वारा प्रमाणित किया गया है प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वनभूमि सन्निहित है।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA आदि की राशि जमा करने हेतु वचनवद्धता दी गई है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम वनभूमि उपयोग करने संबंधी वचनवद्धता दी गई है।
18. मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर एवं गुमला वन प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 9.86 हे० समतुल्य गैर वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	मौजा का नाम	थाना/थाना संख्या	नया (RS) खाता संख्या	प्लॉट संख्या	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा
1.	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	जुझार सिकनी	हुसैनाबाद /476	1 एवं 2	318 एवं 302,304,305, 308, 309	7.69 हे०
2.	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	सुरसांग	सुरसांग / 51	80 एवं 81	3877, 3770, 3771, 3772, 3773, 3775, 3776, 3777, 3779	2.17 हे०
कुल :-						9.86हे०

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, Geo reference map, संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं स्थल विशिष्ट योजना प्राक्कलन अपलोड/संलग्न किया गया है।

19. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर रिजर्व टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय स्मारक, हाथी कोरिडोर का हिस्सा नहीं है। लेकिन पार्ट-II के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में वन्य प्राणियों यथा खरगोश, साही, भालू, हिरण, सियार, हैना, कोबरा, अजगर आदि पाये जाते हैं।
20. प्रस्तावित परियोजना के 10 कि०मी० की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभयारण्य या ई०एस०जेड० क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित नहीं है।
21. प्रस्ताव पर CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
22. प्रयोक्ता अभिकरण का Justification Report अपलोड/संलग्न किया गया है।

23. प्रस्तावित क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उल्लंघन का मामला नहीं है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता दी गई है।
24. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, इससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।
25. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।


अतएव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की तीन-तीन मूल प्रतियाँ सानुलग्नक सहित भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का संचिका में अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:—यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन-तीन प्रतियों के साथ।

विश्वासभाजन,


08/8/24
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Bagru Bauxite Mine 9.69 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 9.69 ha of Forest land.

Date :- 08.08.2024

Place :- Ranchi

Signature


(Shashikar Samanta)
Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cf-gumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-469592



पत्रांक 1301 /

दिनांक 25/07/2024

सेवा में,

1744

30/7/24

विषय :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे०+ 2.17 हे० सेफटीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

संमित मित्र

प्रसंग :- भवदीय का पत्रांक 561 दिनांक 21.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफटीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 852 दिनांक 17.05.2024 से समर्पित किया गया था। भवदीय के प्रासंगिक पत्र के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 1249 दिनांक 28.06.2024 से पत्र में वर्णित त्रुटियों/कमियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है, जो निम्नवत है :-

क्र०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के पार्ट- II में Working Plan prescription नहीं दर्शाया गया है।	पार्ट- II में Working Plan prescription दर्शाया दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के साथ मौजा मैप (आरेखन कर) अपलोड/ संलग्न नहीं किया गया है।	मौजा मैप (आरेखन कर) अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।
3.	Land Schedule duly authenticated by revenue official अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।	Authenticated land Schedule अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।
4.	Statement showing details of forest area involved in the proposal (land schedule) अपलोड/ संलग्न नहीं किया गया है।	Area Statement अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।
5.	डालटेनगंज वन प्रमण्डल, डालटेनगंज द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निर्गत उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।	डालटेनगंज वन प्रमण्डल, डालटेनगंज द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निर्गत उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।
6.	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची के मौजा-सुरसांग में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित पैच 05हे० के कम है, जो वन (संरक्षण एवं	Total area for forest diversion is 9.69 ha for Bagru mine. Out of that 7.52 ha is

<p>संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अभिरूप नहीं है।</p>	<p>the forest area and 2.17 ha is the safety zone area. Earlier we have applied for Forest diversion of 7.52 ha forest area only excluding safety zone and we have already transferred 7.52 ha CA land to Forest department and the same area of CA land (7.52 ha) has been registered and Mutated in the name of Forest Department earlier. Then we received EDS from PCCF, Nodal office to include safety zone of 2.17 ha also in the diversion proposal as per guideline. Accordingly, we identified CA land for 2.17 ha area for diversion proposal in Mauza Sursang, Dist- Gumla adjacent to the existing forest area. We received Land Suitability certificate, LPC, NEC etc. from different competent Govt. authorities for transferring 2.17 ha CA land to Forest department. This CA land of 2.17 ha has already been registered and mutated in the name of the project proponent (Hindalco). The process for transferring this 2.17 ha CA land to Forest department is in process.</p> <p>As we need only 2.17 ha CA land for the diversion proposal for safety zone, we have registered and mutated 2.21 ha CA land which is even more than our safety zone diversion area requirement of 2.17 ha. A letter for justification has also been uploaded in the additional document list on Parivesh Portal.</p>
<p>7. प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की गणना सूची (संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी का सत्यापित प्रति) अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।</p>	<p>वृक्षों की गणना सूची अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।</p>
<p>8. KML file में Forest & Non- forest land दर्शाया नहीं गया है।</p>	<p>KML file में Forest & Non- forest land दर्शाया दिया गया है।</p>
<p>9. KML file में विभिन्न Component को नहीं दर्शाया गया है।</p>	<p>KML file में विभिन्न Component को दर्शाया दिया गया है।</p>

M

<p>10. पार्ट-I में अंकित Component wise breakup & Mining plan में भिन्नता है।</p>	<p>Mining plan has been prepared and approved by IBM, Ranchi for the total mine area of 75.41 ha. The OB dump which is mentioned in Mining plan is 1.06 ha in forest land which has been created before 1980 (before 1980 Forest conservation ACT was not applicable) in the broken area. Total Forest area is 19.56 ha in Bagru mine. Out of 19.56 ha forest area, an area for current forest diversion proposal is 9.69 ha (7.52 ha is the forest area for current diversion and 2.17 ha is the safety zone area) and Broken area is 9.87 ha (broken before 1980) for Bagru mine. We have given component wise break up for an area of only 9.69 ha for which forest diversion has been applied whereas in the approved Mining plan the component wise break up has been given for the entire mine area of 75.41 ha. The Broken area has been included in the non-forest land. A letter for justification has also been uploaded in the additional document list on Parivesh Portal.</p>
---	--

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 1249 दिनांक 28.06.2024 से संलग्न अनुपालन प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,

Gyan Prakash
 वन संरक्षक,
 प्रादेशिक अंचल, गुमला।
 22/07/24

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

e-mail : dfo-lohardaga@gov.in

Ph No. - 06526-224285, 359028

पत्रांक 1719/लो०

दिनांक 21/06/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।

विषय : मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा - बगडु, भुसाड़ एवं हिसरी में बॉक्ससाईट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफ्टीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 561 दिनांक 21-06-2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा - बगडु, भुसाड़ एवं हिसरी में बॉक्ससाईट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफ्टीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र में वर्णित त्रुटियों/कमियों का प्रयोक्ता अभिकरण एवं इस प्रमण्डल द्वारा निराकरण कर प्रस्ताव निम्नवत् समर्पित की जा रही है :-

1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के पार्ट - II में Working plan prescription नहीं दर्शाया गया है।	-	पार्ट - II में Working plan prescription दर्शा दिया गया है।
2	प्रस्ताव के साथ मौजा मैप (आरेखन कर) अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।	-	मौजा मैप (आरेखन कर) अपलोड कर दिया गया है। Hard copy संलग्न।
3	Land Schedule duly authenticated by revenue official अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।	-	Authenticated land Schedule अपलोड कर दिया गया है। Hard copy संलग्न।
4	Statement showing details of forest area involved in the proposal (land schedule) अपलोड नहीं किया गया है।	-	Area Statement अपलोड कर दिया गया है। Hard copy संलग्न।
5	डालटेनगंज वन प्रमण्डल, डालटेनगंज द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निर्गत उपयुक्ता प्रमाण पत्र अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।	-	डालटेनगंज वन प्रमण्डल, डालटेनगंज द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निर्गत उपयुक्ता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है। Hard copy संलग्न।
6	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची के मौजा - सुरसांग में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित पैच 5 हे० से कम है, जो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अभिरूप नहीं है।	-	Total area for forest diversion is 9.69 ha for Bagru mine. Out of that 7.52 ha is the forest area and 2.17 ha is the safety zone area. Earlier we have applied for Forest diversion of 7.52 ha forest area only

		<p>excluding safety zone and we have already transferred 7.52 ha CA land to Forest department and the same area of CA land (7.52 ha) has been registered and Mutated in the name of Forest Department earlier. Then we received EDS from PCCF, Nodal office to include safety zone of 2.17 ha also in the diversion proposal as per guideline. Accordingly, we identified CA land for 2.17 ha area for diversion proposal in Mauza Sursang, Dist- Gumla adjacent to the existing forest area. We received Land Suitability certificate, LPC, NEC etc. from different competent Govt. authorities for transferring 2.17 ha CA land to Forest department. This CA land of 2.17 ha has already been registered and mutated in the name of the project proponent (Hindalco). The process for transferring this 2.17 ha CA land to Forest department is in process.</p> <p>As we need only 2.17 ha CA land for the diversion proposal for safety zone, we have registered and mutated 2.21 ha CA land which is even more than our safety zone diversion area requirement of 2.17 ha. A letter for justification has also been uploaded in the additional document list on Parivesh Portal.</p>
7	<p>प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की गणना सूची (संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी का सत्यापित प्रति) अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।</p>	<p>— वृक्षों की गणना सूची अपलोड कर दिया गया है। Hard copy संलग्न।</p>
8	<p>KML file में Forest & Non-forest land दर्शाया नहीं गया है।</p>	<p>— KML file में Forest & Non-forest land दर्शाया दिया गया है।</p>
9	<p>KML file में विभिन्न Component को नहीं दर्शाया गया है।</p>	<p>— KML file में विभिन्न Component को दर्शा दिया गया है।</p>
10	<p>Part-I में अंकित Component wise breakup & Mining plan में भिन्नता है।</p>	<p>— Mining plan has been prepared and approved by IBM, Ranchi for the total mine area of 75.41 ha. The OB dump which is mentioned in Mining plan is 1.06 ha in forest land which has been created before 1980 (before 1980 Forest conservation ACT was not applicable) in the broken area. Total Forest area is 19.56 ha in Bagru mine. Out of 19.56 ha forest area, an area for current forest diversion proposal is 9.69 ha (7.52 ha is the forest area for current diversion and 2.17 ha is the safety zone area) and Broken area is</p>

400

		9.87 ha (broken before 1980) for Bagru mine. We have given component wise break up for an area of only 9.69 ha for which forest diversion has been applied whereas in the approved Mining plan the component wise break up has been given for the entire mine area of 75.41 ha. The Broken area has been included in the non-forest land. A letter for justification has also been uploaded in the additional document list on Parivesh Portal.
--	--	---

उक्त परियोजना से संबंधित विवरणी बहित प्रपत्र पार्ट - II में Online प्रविष्टि कर दी गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अभिलेख एवं विषयांकित प्रस्ताव भाग - A Part - I एवं Part - II प्रत्येक की सात-सात प्रतियां संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० : यथोक्त।

आपका विश्वासी,

23.6.24

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल,
लोहरदगा।

399

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।



E-mail:- cf-gumla@gov.in / cf-gumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-469592

पत्रांक 861 / दिनांक 18/05/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- Forest diversion Proposal (9.69 Ha. Including 2.17 Ha. Of safety zone) for Bagru Bauxite Mine a Village- Bagru, Tehsil- kisko. District- Lohardaga. Jharkhand by M/s Hindalco Industries Ltd. परियोजना में Uploading Recommendation Details upload करने के संबंध में।

प्रसंग :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा का पत्रांक 715 दिनांक 15.03.2024


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा ने Forest diversion Proposal (9.69 Ha. Including 2.17 Ha. Of safety zone) for Bagru Bauxite Mine a Village- Bagru हेतु प्रस्ताव Fresh तौर पर Upload कर इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। Menu Lock होने के कारण अधोहस्ताक्षरी का Recommendation Details upload नहीं हो पा रहा है।

अतः Specific Recommendation of CF (Softcopy & Hardcopy) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त Recommendation Details Site पर Upload कराने की कृपा की जाय।

अनु :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,


वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cf-gumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-469592



379

पत्रांक 852 / दिनांक 17/05/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्सआईट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय का पत्रांक 935 दिनांक 14.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्सआईट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 1010 दिनांक 18.05.2023 से समर्पित किया गया था। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 715 दिनांक 15.03.2024 से भवदीय के पत्रांक 935 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में safety zone area 2.17 हे० को शामिल करते हुये पुनः कुल 9.69 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव निम्नवत इस कार्यालय में समर्पित किया है :-

क्र०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में फार्म-ए	निर्धारित प्रपत्र फार्म-ए पार्ट-I (संलग्न)
2.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र पार्ट-II	निर्धारित प्रपत्र पार्ट-II (संलग्न)
3.	1:50000 स्केल के टोपोशीट मैप (रंगीन एवं अरेखन सहित)	संलग्न।
4.	प्रस्ताव के साथ मौजा मैप की (रंगीन एवं अरेखन सहित)	संलग्न।
5.	प्रस्ताव के साथ अपयोजन होने वाले वनभूमि की विवरणी (Land Schedule)	संलग्न।
6.	प्रस्ताव के साथ Layout Plan	संलग्न।
7.	राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित भूमि अनुसूची	संलग्न।
8.	प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त द्वारा निगम अनापत्ति प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र	संलग्न।
9.	प्रस्ताव के साथ सभा/आम सभा की कार्रवाई की प्रति संलग्न नहीं है।	संलग्न।

10.	प्रस्तावित अधिसूचित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षोपपण हेतु चयनित समतुल्य 9.69 हे0 गैर-वनभूमि का नक्शा, KML file (CD में), वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं प्राक्कलन	(1) नक्शा (संलग्न) (2) KML file (CD में) (3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न, जिसमें सामग्री मद में GST वसूलनीय है।
11.	Purpose wise breakup at forest land संबंधित प्रतिवेदन	संलग्न।
12.	प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वनभूमि पर प्रडने वाले वृक्षों की प्रजातिवार Grith wise गणना सूची सारांश में संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति	संलग्न।
13.	KML File (generated) of Map of outer boundary of mining lease area	संलग्न।
14.	Regarding bared and minimum use of forest land वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)	संलग्न।
15.	Regarding any work carred out in violatrion of the act or guidelines issues under 1980 वचनबद्धता प्रमाण (Undertaking)	संलग्न।
16.	प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित समतुल्य 9.69 हे0 भूमि का Site Suitability.	संलग्न।

अधोहस्ताक्षरी का Part III एवं Site Inspection Report प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

उक्त परियोजना से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र Part-II में Online वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा पुनः Upload कर विषयांकित प्रस्ताव का Part- I एवं Part - II की पाँच-पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में समर्पित किया है जिसकी चार-चार प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,

(Signature)
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।
17/5/24



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cf-gumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-221236(O), 223052(R)



LIFE
Lifestyle for
Environment

पत्रांक 1223 / दिनांक 23/06/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :-

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय का पत्रांक 582 दिनांक 02.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव में भवदीय के प्रासंगिक पत्र में वर्णित/कमियों का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 1047 दिनांक 08.06.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत किया है :-

क्र०	बिन्दु	अनुपालन
1	2	3
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र पार्ट-II अपलोड नहीं किया गया है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रतिवेदानुसार निर्धारित प्रपत्र पार्ट-II को संशोधित करते हुए Upload कर दिया गया है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड की गयी KML का Forest area 7.49 ha. एवं Applied Forest Area 7.52 ha में भिन्नता है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रतिवेदानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रपत्र पार्ट - I में KML file 4 Patch upload कर दिया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 7.52 हे० का वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें क्षतिपूरक वन रोपण हेतु 7.69 हे० का गणना किया गया है। जिसके कारण यह भिन्नता दिखाई दे रहा है।
3	प्रस्ताव के पार्ट-II में प्रस्तावित वनभूमि पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना सूची एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रजातिवार Girth-wise गणना सूची सारांश में उल्लेखित वृक्षों की कुल संख्या में भिन्नता को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रतिवेदानुसार निर्धारित प्रपत्र पार्ट-II में प्रस्तावित वनभूमि पर पड़ने वाले वृक्षों की प्रजातिवार Girth-wise गणना सूची में संशोधन कर दिया गया है। कुल वृक्षों की संख्या 3719 है।


उक्त परियोजना से संबंधित विहित प्रपत्र Part-II में Online वन

252

सात प्रतियाँ इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। जिसकी पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,


वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।
23/06/23



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cf-gumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-221236(O), 223052(R)



पत्रांक 1010 / दिनांक 18/05/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

भवदीय का पत्रांक 1259 दिनांक 13.12.2022

प्रसंग :-

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव में भवदीय के प्रासंगिक पत्र में वर्णित/कमियों का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 172 दिनांक 21.01.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा निराकरण कर प्रस्ताव निम्नवत समर्पित की गई है :-

अमित मिश्र

1530
22/5/2023
22.05.2023

क्र०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में फार्म-ए पार्ट-I अपलोड नहीं किया गया है।	निर्धारित प्रपत्र फार्म--ए पार्ट-I (संलग्न)
2.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र पार्ट-II अपलोड नहीं किया गया है।	निर्धारित प्रपत्र पार्ट-II (संलग्न)
3.	1:500000 स्केल के टोपोशीट मैप (रंगीन एवं अरेखन सहित) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
4.	प्रस्ताव के साथ मौजा मैप की (रंगीन एवं अरेखन सहित) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
5.	प्रस्ताव के साथ अपयोजन होने वाले वनभूमि की विवरणी (Land Schedule) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
6.	प्रस्ताव के साथ Layout Plan संलग्न ही है।	संलग्न।
7.	राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित भूमि अनुसूची संलग्न नहीं है।	संलग्न।
8.	प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त द्वारा निगन्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में नहीं है।	Undertaking संलग्न।
9.	प्रस्ताव के साथ सभा/आम सभा की कार्रवाई की प्रति संलग्न नहीं है।	Undertaking संलग्न।
10.	प्रस्तावित अधिसूचित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षोत्पन्न हेतु चयनित समतुल्य 7.69 हे० गैर-वनभूमि का नक्शा, DGPS, टोपोमैप शीट संख्या एवं रंगीन तथा अरेखन मान्य है। उक्त गैर-वनभूमि का KML file (CD में), वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न नहीं है।	(1) नक्शा (संलग्न) (2) KML file (CD में) (3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न, जिसमें सामग्री मद में GST वसलनीय है।

	Purpose wise breakup at forest land संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।	संलग्न।
	प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वनभूमि पर प्रड़ने वाले वृक्षों की प्रजातिवार Grith wise गणना सूची सारांश में संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	संलग्न।
13.	Resettlement & Rehabilitation Plan संलग्न नहीं है।	लागू नहीं।
14.	KML File (generated) of Map of outer boundary of mining lease area संलग्न नहीं है।	संलग्न।
15.	Regarding bared and minimum use of forest land वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
16.	Regarding any work carred out in violatrion of the act or guidelines issues under 1980 वचनबद्धता प्रमाण (Undertaking) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
17.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड की गयी KML का area 7.49 ha. and applied forrest area 7.52 ha. में भिन्नता है।	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा संशोधित कर दी गई है।
18.	फार्म-ए पार्ट- I का कण्डिका C(iv) में अपलोड की गयी Geo-reference का PDF File नहीं परिलक्षित हो रहा है इसे पुनः अपलोड करना आवश्यक होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा PDF File अपलोड कर दी गई है।

उक्त परियोजना से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र Part-II में Online वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा पुनः Upload कर विषयांकित प्रस्ताव का Part- I एवं Part - II की सात-सात प्रतियाँ इस कार्यालय में समर्पित किया जिसकी पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,

(Signature)
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।
18/05/23



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cf-gumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-221236(O), 223052(R)



205

पत्रांक 1955 / दिनांक 23/11/2022

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :-

Submission of "Hard Copy" Document (Proposal No.-FP/JH/MIN/155456/2022 in from A & B along with all enclosure) for seeking pride approval of Central Gov. under section 20f the Forest (Conservation Act, 1980 for Diversion of Forest land of 7.52 Ha Bagru Mine at Village- Bagru Tehsil- Kisko, District- Lohardaga.

प्रसंग :-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा का पत्रांक 2674 दिनांक 30.09.2022


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 2674 दिनांक 30.09.2022 द्वारा विषयांकित परियोजना हेतु लोहरदगा वन प्रमण्डल के अन्तर्गत कुल- 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा द्वारा प्रस्ताव के साथ Part -II स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अपना अनुशंसा तथा संगत अभिलेख इस कार्यालय को समर्पित किया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.11.2022 को अम्रयोजन हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया है। Part -III में अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य एवं अनुशंसा अंकित कर दिये गये हैं। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा Part -III प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा के पत्रांक 2674 दिनांक 30.09.2022 (संलग्न) द्वारा समर्पित प्रस्ताव 05 प्रतिशों में निम्नलिखित अभिलेखों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न समर्पित की जा रही है :-

1. यह प्रस्ताव लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत वनभूमि (PF) 7.52 हे० हेतु समर्पित है, जिसका विस्तृत विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
2. प्रस्ताव से संबंधित 1:50000 वाले टोपो शीट मानचित्र (छायाप्रति) पर लोकेशन चिन्हित संलग्न है।
3. अपयोजित होने वाली वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवश्यक राशि तथा NPV राशि वहन किये जाने संबंधी Undertaking प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4. परियोजना में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि में कुल 3701 वृक्ष प्रभावित होंगे। जिसकी विवरणी Part-II में अंकित है।



आशीष कुमार


25/11

5. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु मेदनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत स्थल का चयन किया गया है। चयनित स्थल का चिन्हित नक्शा (छायाप्रति) प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र एवं जंगल-झाड़ी भूमि संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. परियोजना के लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
8. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाली वनभूमि का विवरणी संलग्न है।
9. वन प्रमण्डल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
10. वन प्रमण्डल पदाधिकारी का विशिष्ट सिफारिश/अनुशंसा संलग्न है।

प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु० :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,


वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।
23/11/22



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :

राँची :

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय:- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफटीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 1955 दिनांक 23.11.2022 एवं पत्रांक 1010 दिनांक 18.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/Water/155456/2022) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत Online तथा Hard Copy की इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी।

उपरोक्त पूर्व में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे० (2.17 हे० सेफटीजोन एरिया को छोड़कर) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में सेफटीजोन एरिया को सम्मिलित करने एवं अन्य बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। उक्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफटीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के पत्रांक 852 दिनांक 17.05.2024 एवं पत्रांक 1301 दिनांक 25.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव की वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना लोहरदगा वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अवस्थित है।
2. प्रस्तावित क्षेत्र बगडू पी०एफ० में अवस्थित है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित Form-A, प्रपत्र-I में ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन दर्ज करते हुए अपलोड किया गया है।
4. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II (ऑनलाईन/ऑफलाईन) में संबंधित लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा का मंतव्य दर्ज किया गया है। साथ स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड/संलग्न किया गया है।
5. प्रस्ताव के साथ पार्ट-III में संबंधित वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का मंतव्य दर्ज किया गया है। साथ स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड/संलग्न किया गया है।
6. प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसार 9.69 हे० अधिसूचित वनभूमि का प्रस्ताव है।

23. प्रस्तावित क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उल्लंघन का मामला नहीं है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता दी गई है।
24. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, इससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।
25. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

अतएव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की तीन-तीन मूल प्रतियाँ सानुलग्नक सहित भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का संचिका में अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:—यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन-तीन प्रतियों के साथ।

विश्वासभाजन,

ह०/—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 728.....

दिनांक 08-08-2024

प्रतिलिपि:— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को कंडिका-21 पर मंतव्य हेतु प्रस्ताव की एक मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि CWLW का मंतव्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।